राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर

Phone No. 0291-2432765, Email ID- chiefgwd3@gmail.com

क्रमांक:- एफ.3(40)भूजल/स्था/जोधपुर/2020/359 दिनांक:- 09/12/2020

-:: आदेश ::-

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा लिपिक ग्रेड-द्वितीय परीक्षा-2013 (Pickup Against NJRs, LDC 2013) में चयनित अभ्यर्थी तथा प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग जयपुर के पत्रांक प.1(6)प्र.सु./अनु-3/2017 दिनांक 16.06.2020 के निर्देशानुसार राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अनुसरण में परीवीक्षाधीन प्रक्षिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक राशि रूपये 14,600/- प्रतिमाह (अक्षरे रूपये चौदह हजार छः सौ) एवं परीवीक्षाकाल में संतोषजनक सेवाऐं पूर्ण करने के उपरान्त पे-मेट्रीक्स लेवल संख्या-5 पर लिखित शर्तो पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एतद्द्वारा कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-द्वितीय) के पद पर नियुक्त किया जाता है:-

क्र. स.	RPSC मेरिट क्रमाक एवं Roll No.	अभ्यर्थी की फोटो	अभ्यर्थी का नाम(सर्वश्री/सुश्री/ श्रीमती)/पिता का नाम/पता	जन्मतिथि	वर्ग
1	2	3	4	5	6
1	1020/ 871711		सुमित कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार (SUMIT KUMAR) पता - 28-111 ब्लॉक, सतगुरू पुस्तक भण्डार, उदाराम चौक, पुरानी आबादी, श्री गंगानगर, जिला श्री गंगानगर	22.08.1988	GEN

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन की जाती है।

1. उपरोक्त अभ्यर्थी को पदस्थापन आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी 15 दिवस के भीतर उक्त पद का कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो अभ्यर्थी के आवेदन फार्म प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर को भिजवा दिये जायेगें।
2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करनी होगी।
3. उक्त नियुक्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी. एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प/सामान्यअवि/2015/54159-290 दिनांक 09.09.2015 एवं पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 में वर्णित दिशा निर्देशों/सत्यापन्न के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
4. परिवीक्षाकाल (Probationer Trainee) में इन्हे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

तकनिकी सहायक-II, कृते मुख्य अभियन्ता

5. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर सन्तोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो, में असफल रहने पर उन्हे बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

6. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता लिपिक ग्रेड-द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013 में मेरिट के अनुसार रहेगी।

7. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।

8. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत नवीन अंशदायी पेंशन योजना (NPS) के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होगें।

9. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हे राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन्न पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel)से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश अनापति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी नव-पदस्थापन्न कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

10. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों /परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।

11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, एफ.6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ.1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, एफ.13(1)एफडी/रूल्स /2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियम पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगें इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2005 राजस्थान बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगी।

12. सभी अभ्यर्थियों की जन्मतिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।

13. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अध्याय-।। (अनुभाग-।) में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवाग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

सहायक-II
कृते मुख्य अभियन्ता

14. अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन्न रिपोर्ट में कोई भी विपरित तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार विभाग को होगा। नियुक्ति चरित्र सत्यापन्न रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी।

15. उपरोक्त अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति कार्यालय मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर में देगें। इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेगें।

(सूरजभान सिंह)
मुख्य अभियन्ता,
भू जल विभाग,जोधपुर

क्रमांक:- एफ.3(40)भूजल/स्था/जोधपुर/2020/359 दिनांक:- 09/12/2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ शासन उप सचिव, भू जल विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (गुप-3), विभाग, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, भू जल विभाग, जोधपुर
5. नोडल अधिकारी विभागीय वैबसाईट एवं वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक, भू जल विभाग, (DSPC) जोधपुर को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. सम्बन्धित श्री सुमित कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार, पता 28-।।। ब्लॉक, सद्गुरू पुस्तक भण्डार, उदाराम चौक, पुरानी आबादी, जिला श्रीगंगानगर
7. ए.पी.ए. शाखा/जांच शाखा/स्वीकृत पद शाखा(मुख्यालय)।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली

तकनीकी सहायक-द्वितीय,
कृते मुख्य अभियन्ता,
भू जल विभाग,जोधपुर